न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 38/2026 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

तारीख रजू : 28.04.2026 निर्णय दिनांक : 15.05.2026

उनवान

1. औमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी ग्राम दौलतसिंहपुरा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। .....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान,
2. जसवन्त पुत्र हजारी लाल जाति अहीर निवासी ग्राम दौलतसिंहपुरा, तहसील नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सतीश निमोरिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री लालचन्द यादव अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 की ओर से।

।। निर्णय ।। दिनांक–15.05.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष वाद बउनवानी जसवन्त बनाम ग्यारसी मुकदमा संख्या 594/2025, विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।
3. वकील उभयपक्षकारान को सुना गया।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष एक राजस्व वाद सं० 594/2025 उनवान जसवन्त बनाम ग्यारसी व अन्य व इसके साथ स्टे प्रार्थना पत्र धारा 212 आर०टी०ए० पेश किया हुआ है। उक्त अनुवानी दावा मे पीठासीन अधिकारी द्वारा जानबुझकर छोटी–छोटी पेशी दी जा रही है और दावा मे वर्णित भूमि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाऐ एवं बिना प्रतिवादी को सुने ही वादी से साज बाज होकर वादी के हित मे भूमि के बंटवारा का निर्णय पारित करना चाहते है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी नीमराना के पीठासीन अधिकारी से मिन प्रार्थी को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। वादी गांव में ऐलियाना कहता घूम रहा है कि पीठासन अधिकारी हमारी मानता है हम जैसे कहेगें वैसे ही हमारे पक्ष में निर्णय करेगे। हम इसी पेशी पर निर्णय करवा कर रहेगें। पीठासीन अधिकारी भी उक्त प्रकरण में छोटी–छोटी पेशी देकर प्रकरण के निस्तारण करना चाहते है। इसलिए न्याय हित में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना मे

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

लम्बित राजस्व वाद सं० 594/2025 उनवान जसवन्त बनाम ग्यारसी व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना से तलब फरमाई जाकर, उक्त दावा को किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु ट्रांसफर फरमाई जाना न्याय संगत है।

अन्त में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना मे लम्बित राजस्व वाद सं० 594/2025 उनवान जसवन्त बनाम ग्यारसी व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना से किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु ट्रांसफर फरमाई जाने की कृपा करे।

5. वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मनमाने व झूठे तथ्य अंकित करते हुए पेश किया है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अतः उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

6. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, प्रार्थी अधिवक्ता की दलीलों, पत्रावली के समस्त अभिलेखों पर सम्यक् विचार किया गया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस, विश्वसनीय अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण आचरण किया जा रहा है अथवा प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की वास्तविक एवं युक्तियुक्त आशंका है। यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि केवल आशंका, अफवाह या एकपक्षीय कथनों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने और अधीनस्थ न्यायालय पर अनुचित मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। चूँकि प्रार्थी पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है और केवल निराधार आशंकाओं के आधार पर स्थानांतरण की मांग की गई है, अतः न्याय के हित में ऐसे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(अर्पणा गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़